न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, निवाई, जिला टोंक

(पीठासीन अधिकारीः सुरेश कुमार हरसोलिया, आर.ए.एस.)

दावा सं० 425/2023

प्रविष्टि दिनांक 18.07.2023

उनवान

1. हनुमान पुत्र लालाराम जाति कुम्हार उम्र 31 वर्ष निवासी ग्राम खण्डवा तह0 निवाई जिला–टोंक वादीगण

बनाम

1. तहसीलदार निवाई जिला टोंक प्रतिवादीगण

उपस्थित श्री रमेशचंद शर्मा अभिभाषक वादी
पेरोकार सरकार प्रतिवादी

निर्णय

प्रार्थना पत्र, दुरूस्ती इन्द्राज

दिनांक– 21/3/25

संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है कि अधिवक्ता वादी द्वारा एक वाद आवेदन पत्र अन्तर्गत धारा 136 राजस्थान लेण्ड रेवेन्यू एक्ट प्रस्तुत किया जिसमे अंकितानुसार प्रार्थी की संयुक्त खातेदारी एवं कब्जे काश्त की भूमि खसरा नं0 861 रकबा 1.5176, खसरा नं. 862/2 रकबा 1.9855 है0, ख0नं0 863 रकबा 0.5059 है0 कुल कीता 03 कुल रकबा 4.0090 है0 वाके ग्राम खण्डवा पटवार हल्का खण्डवा तह0 निवाई जिला टोंक में स्थित भूमि है। इस भूमि में प्रार्थी जमाबंदी अनुसार हक व हिस्सा अनुसार रिकॉर्डेड खातेदार काश्तकार है। उपरोक्त वर्णित भूमि में खातेदार का वास्तविक नाम हनुमान पुत्र लालाराम जाति कुम्हार सभी सरकारी दस्तावेजों में दर्ज है। किन्तु फिर भी राजस्व कर्मचारियों द्वारा सहवन से त्रुटिवश मुकेश पुत्र लाला गलत रूप से अंकित हो गया, जिसको राजस्व रिकॉर्ड में हनुमान पुत्र लालाराम जाति कुम्हार दुरूस्त किया जाना न्यायोचित एवं विधि संगत है। प्रार्थी का नाम राजस्व रिकॉर्ड के अलावा सभी दस्तावेजों में हनुमान पुत्र लालाराम जाति कुम्हार अंकित है, जो सभी दस्तावेजों के अलावा प्रार्थी का मुताबिक आधार कार्ड, राशनकार्ड, भामाशाह कार्ड, जनआधार कार्ड, वोटरआईडी, बैंक पासबूक एवं सभी दस्तावेजों के आधार पर प्रार्थी का नाम हनुमान पुत्र लालाराम जाति कुम्हार राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज करवाना चाहता है ताकि प्रार्थी को अनावश्यक असुविधा कारित न हो। प्रार्थी ने अपने नाम को दुरूस्त करने हेतु तहसीलदार निवाई के समक्ष अपना नाम को दुरूस्त करने हेतु अनुरोध किया था, परन्तु तहसीलदार निवाई ने न्यायालय का आदेश लाने पर ही उक्त नाम को दुरूस्त करने का आश्वासन दिया है इस कारण प्रार्थी को उक्त प्रार्थना पत्र पेश करना आवश्यक हुआ। उक्त भूमि ग्राम खण्डवा तह0 निवाई में स्थित होने से एवं मान्य न्यायालय के क्षेत्राधिकार में स्थित होने से मान्य न्यायालय को उक्त प्रार्थना–पत्र का श्रवणाधिकार प्राप्त है। अतः प्रार्थना–पत्र मय शपथ–पत्र पेश कर निवेदन है कि वर्णित खसरा नंबर 861 रकबा 1.5176, खसरा नं. 862/2 रकबा 1.9855 है0, ख0नं0 863 रकबा 0.5059 है0 कुल कीता 03 कुल रकबा 4.0090 है0 वाके ग्राम खण्डवा पटवार हल्का खण्डवा तह0 निवाई टोंक भूमि में राजस्व रिकॉर्ड में प्रार्थी का नाम मुकेश पुत्र लाला के स्थान पर हनुमान पुत्र लालाराम जाति कुम्हार दुरूस्त किये जाने हेतु तहसीलदार निवाई को आदेश फरमाया जावे।

इसके पश्चात वाद दर्ज रजिस्टर कर प्रतिवादीगण को जरिये नोटिस तलब किया गया। अधिवक्ता वादी द्वारा साक्ष्य दस्तावेज के रूप में नकल जमाबंदी संवत 2073–76, आधार कार्ड आदि प्रस्तुत किये जो शामिल पत्रावली है।

उपखण्ड अधिकारी
निवाई (टोंक)

पैरोकार सरकार की रिपोर्ट अनुसार ग्राम खण्डवा में खाता सं0 27 ख0नं0 861 रकबा 1.5176, ख0नं0 862/2 रकबा 1.9855, ख0नं0 863 रकबा 0.5059 कुल रकबा 4.0090 है0 भूमि में से हि0 1/30 मुकेश पुत्र लाला जाति कुम्हार के नाम दर्ज रिकॉर्ड है। उपरोक्त खाता सं0 27 में प्रार्थी का नाम विरासत से मुकेश पुत्र लाला जाति कुम्हार दर्ज हुआ है। प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत किये गये अन्य दस्तावेज जैसे–आधारकार्ड, वोटरआईडी, राशनकार्ड में प्रार्थी का नाम हनुमान पुत्र लालाराम हो रखा है। उक्त दस्तावेजों के आधार पर प्रार्थी जमाबन्दी के उपरोक्त खाता सं0 27 में शुद्धिकरण दर्ज करवाना चाहता है।

हमने दावे पर उपलब्ध साक्ष्यो एवं दस्तावेजो का अध्ययन किया एवं अधिवक्ता वादी की बहस पर मनन किया। इसके अतिरिक्त पैरोकार सरकार की रिपोर्ट अनुसार भी प्रार्थी का नाम विरासत से मुकेश पुत्र लाला जाति कुम्हार दर्ज हुआ है, जबकि प्रस्तुत दस्तावेजों के अनुसार प्रार्थी का नाम हनुमान पुत्र लालाराम है। इस प्रकार वादीगण व पैरोकार सरकार के द्वारा प्रस्तुत पत्रो के तथ्यो को सही मानते हुए इस्तदुआ स्वीकार की गई। इसलिए न्याय हित व भविष्य में अनावश्यक वादो की बढोतरी को रोकने के लिए इस पर विचार किया जाना उचित है। अतः इकबालिया जवाब एवं पेरोकार सरकार की रिपोर्ट के आधार पर न्यायालय वादी का वाद स्वीकार करना उचित समझता है।

आदेश

फलतः प्रार्थनापत्र राजस्थान भू– राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 136 बाबत भूमि खसरा नंबर 861 रकबा 1.5176, खसरा नं. 862/2 रकबा 1.9855 है0, ख0नं0 863 रकबा 0.5059 है0 कुल कीता 03 कुल रकबा 4.0090 है0 वाके ग्राम खण्डवा पटवार हल्का खण्डवा तह0 निवाई, तहसीलदार निवाई की रिपोर्ट के अलोक मे स्वीकार किया जाता है तथा तहसीलदार, निवाई को आदेश दिये जाते हैं कि पैरोकार सरकार द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य/दस्तावेज के अनुसार मुकेश पुत्र लाला जाति कुम्हार के बजाय हनुमान पुत्र लालाराम प्रार्थी के पक्ष में राजस्व रिकॉर्ड में अमल दरामद कर, पालना से अवगत करावें।

निर्णय आज दिनांक 21/3/25 को लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(सुरेश कुमार हरसोलिया)
उपखण्ड अधिकारी निवाई